प्रेस नोट

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद महराजगंज, दिनांक- अक्टूबर 03, 2021

***यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग*-** जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडियों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 161 वाहनों का चालान किया गया।

***शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही*-** जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से कुल- 13 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा कुल -39 व्यक्तियों का अन्तर्गत धारा-107/116 सीआरपीसी मे चालान मा0 न्यायालय कर भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

***पैदल गश्त अभियान*-** श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे पैदल गश्त अभियान के तहत जनपद पुलिस के सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अलग-अलग टीम बनाकर पैदल गश्त अभियान को जारी रखते हुए दुकानदारों, व्यापारियों तथा आम जनता से सम्पर्क स्थापित किया गया तथा उनकी समस्या सुनी गयी। कस्बा में स्थित चौराहों, सड़क की पटरियों, भीड़-भाड़ वाले स्थानों को अतिक्रमण मुक्त रखने तथा आम जनमानस को पुलिस का सहयोग करने को कहा गया। जिससे चौराहों व भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर यातायात सुगम हो सके।

***आबकारी अधिनियम मे की गयी कार्यवाही* -**
थाना श्यामदेउरवां पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त शिवपरसन साहनी पुत्र रामदेव नि0 कुड़वा मुड़कहिया थाना श्यामदेउरवां जनपद महराजगंज के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 196/21 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम मे विधिक कार्यवाही करते हुए चालान मा0 न्यायालय किया गया।

***थाना नौतनवां पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही*-** अभियुक्त जोखन राजभर पुत्र बिहारी नि0 धोतियहवां थाना नौतनवां जनपद महराजगंज के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 208/21 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम मे विधिक कार्यवाही कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

***थाना सिन्दुरिया पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही*-** अभियुक्त विनोद प्रसाद पुत्र रामानन्द नि0 देउरवां थाना सिन्दुरिया जनपद महराजगंज के कब्जे से 10 शीशी अवैध देशी शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 106/21 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम मे पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही करते हुए चालान मा0 न्यायालय किया गया।

***विवेचनाओं का निस्तारण*-** पुलिस अधीक्षक महराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण-दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए कुल-12 विवेचनाओं का निस्तारण किया गया।

जनपद में 02/03-10-2021 को विभिन्न अपराधों में कुल- 16 अभियुक्तगणों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी।